देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित
www.page3news.in
नगर संस्करण वर्ष 16 अंक: 158 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...मजबूरी में बनी अनुसूची

पेज श्री

देहरादून, बृहस्पतिवार, 23 सितंबर 2021

मौसम अधिकतम 27.0° न्यूनतम 24.0°

40243.39

2 बाइडन ने किया भारत का सपोट
7 आईपीएल में फिर घुसा कोरोना वायरस

महिलाओं के अधिकारों को टाला नहीं जा सकता

इस साल एनडीए एंट्रेंस में महिलाओं के प्रवेश के आदेश को वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। इस साल एनडीए एंट्रेंस में महिलाओं को इजाजत देने के अपने आदेश को वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्म्ड फोर्स इमरजेंसी की स्थिति को डील करने में सक्षम है, हम महिलाओं का एनडीए में एंट्री एक साल के लिए नहीं टाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस दलील को अस्वीकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि महिलाओं को इस साल एनडीए एंट्रेस में बैठने की इजाजत देने वाले शीर्ष अदालत के आदेश वापस लिए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्म्ड फोर्स इमरजेंसी डील करने के लिए सक्षम है ऐसे में वह कोई जल्दी वाला सामाधान लेकर आए ताकि महिलाओं का एनडीए में तुरंत प्रवेश सुनिश्चित हो सके।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

याचिकाकर्ता कुश कालरा के वकील ने दलील दी कि हर साल दो एग्जाम होते हैं और अगर मई 2022 में महिलाओं को बैठने की इजाजत दी गई तो इसका मतलब यह होगा कि महिलाओं का दाखिला 2023 में हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं का एनडीए में प्रवेश एक साल के लिए नहीं टाला जा सकता है।

अदालत ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता। महिलाओं को नवंबर में एंट्रेंस एग्जाम का भरोसा देकर हम उसे मिथ्या साबित नहीं करना चाहते और उन्हें कहें कि उनका एग्जाम बाद में लिया जाएगा।

आर्म्ड फोर्स इमरजेंसी स्थिति को डील करने में है सक्षम: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच के सामने डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से गुहार लगाई गई कि सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को वापस ले जिसमें महिलाओं को अगले एनडीए एंट्रेस में बैठने की इजाजत दी है। अगला एंट्रेंस 14 नवंबर को होना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश वापस लेने से मना कर दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया कि मौजूदा एंट्रेंस एग्जाम में महिलाओं को इजाजत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी ट्रेनिंग के पैरामीटर से लेकर तमाम मैकेनिज्म तैयार करना है और उसमें मई 2022 तक का समय लगेगा।

सुनवाई के दौरान डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एश्वर्य भाटी ने कहा कि महिला कैंडिडेट के प्रवेश के लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। इसके तहत महिलाओं के इंडक्शन और ट्रेनिंग का तरीका होगा।

मेडिकल सर्विसेज के डीजी और एक्सपर्ट बॉडी महिला कैंडिडेट के तीनों डिफेंस सर्विसेज में प्रवेश के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड तय करेगा। सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते के लिए टाली जाती है।

केंद्र सरकार ने दी दलील

उनके उम्र, यंग एज, उनके ट्रेनिंग की प्रकृति और नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की ऑपरेशनल और फंक्शनल जरूरत के तहत ट्रेनिंग का क्राइटेरिया तय करेगा। आउटडोर ट्रेनिंग के लिए करिकुलम और पैरामीटर तय किया जाएगा।महिलाओं को रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तय करना होगा इसके लिए वक्त लगेगा। यह सब मई 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। जस्टिस कौल की बेंच ने कहा कि हम नहीं समझते हैं कि इस स्थिति से निपटने के लिए आर्म्ड फोर्स सक्षम नहीं होगा। महिलाओं को आगामी एंट्रेंस में न रखने का जो आप स्टैंड ले रहे हैं उसके बजाय आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत है।

हम अपने आदेश वापस नहीं लेना चाहेंगे...पेंडिंग है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ परेशानियां बताई है। दरअसल वह कह रही है कि नो जाम टूडे जाम टूमौरो। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है। आर्म्ड फोर्स बहुत कठिन परिस्थितियों को डील करती है चाहे बॉर्डर का मामला हो या फिर देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला हो दोनों ही इमरजेंसी को वह बखूबी डील करती है और यह उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है। हम आश्वस्त हैं कि आर्म्ड फोर्स इमरजेंसी स्थिति को डील कर लेगी। ऐसे में हम अपने उस आदेश को वापस नहीं लेना चाहेंगे जिसमें हमने निर्देश दिया है कि महिलाओं को इस साल एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की इजाजत दी जाए। हम याचिका अभी पेंडिंग रखते हैं।

संक्षिप्त समाचार

अवैध मतांतरण में मौलाना को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक हजार से अधिक लोगों का अवैध ढंग से धर्मांतरण कराने के मामले में एटीएस की कार्रवाई जारी है। अवैध मतांतरण मामले में यूपी एटीएस ने एक और आरोपित मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया है। वह जामिया इमाम वलीउल्ला ट्रस्ट का अध्यक्ष है। मतांतरण मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपित उमर गौतम के संपर्क में रहे कलीम की भी सक्रिय भूमिका सामने आई है।

अमेरिका दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ कई अहम मुद्दों पर वार्ता करेंगे। इसके अलावा वो क्वाड की बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे।

देश में कोरोना से हुई हर मौत पर परिजनों को दिए जाएंगे 50 हजार

एनडीएमए ने मुआवजे को लेकर गाइडलाइंस बनाई

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार के मुआवजे की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत को यह भी बताया कि राहत कार्यों में शामिल लोगों के परिजनों को भी यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। यदि मृत्यु का कारण कोविड–19 के रूप में प्रमाणित है तो मृतक के परिजनों को उक्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि यह मुआवजा कोविड–19 राहत अभियान में शामिल उन लोगों के परिजनों को भी दिया जाएगा जिनकी मौत इस महामारी की वजह से हुई है। सरकार ने कहा कि यह अनुग्रह राशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आईसीएमआर द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कोविड–19 से होने वाली मृत्यु प्रमाणित होने के बाद ही प्रदान की जाएगी। केंद्र ने बताया कि राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की ओर से यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि तीन सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तय करने में देरी पर नाखुशी जताई थी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को पहली सितंबर तक हर हाल में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त लहजे में कहा था कि हमने पहले ही काफी आदेश पारित कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि जब तक आप दिशानिर्देश तैयार करेंगे तब तक तो महामारी का तीसरा चरण भी खत्म हो जाएगा। दिशानिर्देश के मुताबिक उन मामलों में जिनमें मरीज स्वस्थ नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु अस्पताल में या घर पर हो गई तो भी उसे कोविड–19 से हुई मृत्यु माना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने कहा था कि वो हर मृतक के परिजन को चार–चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे सकती है। सरकार की इस दलील से सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताई। साथ ही कहा कि वो खुद ही ऐसा तंत्र बनाए जिससे मृतक के परिजनों को सम्मानजनक रकम जरूर मिले।

सिद्धू सीएम न बन पाए, इसके लिए कोई भी कुर्बानी दूंगा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

चंडीगढ़। पंजाब सरकार में फेरबदल के बाद पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ जमकर गुस्सा फोड़ा है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू सीएम न बने इसके लिए वह कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। कैप्टन ने राहुल और प्रियंका गांधी को अनुभवहीन बताते हुए कहा कि उनके सलाहकार उन्हें बरगला रहे हैं। दरअसल पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने के बाद ही कैप्टन के अगले दांव पर सबकी नजर थी। कैप्टन ने चन्नी के शपथग्रहण समारोह में शामिल न होकर साफ तौर पर जाहिर करा दिया था कि वह हाईकमान के फैसले से अभी भी नाराज हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से एक उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में ही सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अमरिंदर सिंह के हवाले से लिखा गया, सिद्धू को पंजाब का बनने से रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। 2022 विधानसभा चुनाव में उसकी हार सुनिश्चित करने के लिए मजबूत शख्स को उनके खिलाफ खड़ा करूंगा। अगर नवजोत सिंह सिद्धू सीएम फेस बनते हैं तो पंजाब कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी छू ले, यह बड़ी होगा।

दूसरे ट्वीट में लिखा, मैं जीत के बाद राजनीति छोड़ने के लिए तैयार था लेकिन हार के बाद कभी नहीं। मैंने 3 हफ्ते पहले ही सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था लेकिन उन्होंने मुझे पद पर बने रहने के लिए कहा। इसके बाद ठुकराल ने कैप्टन का अगला बयान ट्वीट किया, प्रियंका और राहुल मेरे बच्चों की तरह हैं... इसे इस तरह नहीं खत्म होना चाहिए था। मैं दुखी हूं। गांधी भाई–बहन अनुभवहीन हैं और उनके अडवाइजर उन्हें स्पष्ट रूप से गुमराह कर रहे हैं।

अलर्ट

■अमरिंदर सिंह का कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बड़ा अटैक

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

महंत नरेंद्र गिरी को दी गई भू-समाधि

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

प्रयागराज। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी को बुधवार को भू–समाधि दी गई। गिरी ने अपने सुइसाइड नोट में यह इच्छा जताई थी कि उन्हें बाघंबरी मठ में ही उनके गुरु की समाधि के पास भू–समाधि दी जाए। उनके निर्देश के अनुसार दिवंगत महंत का अंतिम संस्कार बाघंबरी मठ में नींबू के नीचे उन्हें समाधि देकर किया गया।

नरेंद्र गिरी को भू–समाधि देने से पहले फूलों से सजे रथ पर उन्हें गंगा–यमुना–सरस्वती के संगम तट पर ले जाया गया। यहां उन्हें स्नान कराया गया, जिसके बाद संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए ले जाया गया। गिरी लेटे हनुमान जी मंदिर के भी महंत थे। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अल्लापुर स्थित बाघंबरी मठ ले जाया गया। यहां पहले से खोदे गए समाधि स्थल पर विधि–विधान से पूजा की गई। जिस नींबू के पेड़ को महंत नरेंद्र गिरी ने लगाया था, ठीक उसी के नीचे उन्हें भू–समाधि दी गई।

शिष्यों और संतों की आंखें हुईं नम